उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-99/2019/1020/92-2-19-40जांच//2017

लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-चित्रकूट में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कतिपय मार्गो के सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा खण्डजा व नाली के निर्माण कार्यो की मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 5,265.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-14/2018/188//92-2-19-45जांच/2017 दि0 24.01.2018 द्वारा श्री पी0के0 द्विवेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट (सम्प्रति से0नि0) के विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झांसी को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0--झांसी के पत्र सं0-943/ अनु0जां0 /ग्रा0अ0 वि0/18-19 दि0 12.10.2018 व पत्र सं0-123/अनु0 जां0/ग्रा0अ0वि0/19-20 दिनांक 26.04.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप,जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-झांसी की जांच आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध टी0ए0सी0 जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 5,265.00 राजकीय कोष में जमा कर दिया गया है तथा कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण में शिथिलता व लापरवाही बरतने हेतु उनके सेवानिवृत्त हो जाने के कारण प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर नही रह गया है। अतएव श्री पी0के0 द्विवेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 24.01.2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-99/2019/1020/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।

2- श्री पी0के0 द्विवेदी, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in